

कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद गोण्डा दिनांक 20.02.2021

शांतिभंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही—

जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर जनपद के विभिन्न थानों से कुल-30 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया गया।

अवैध शराब के निष्कर्षण, बिक्री व परिवहन के विरुद्ध जनपदीय पुलिस द्वारा की गई कार्यवाही—:

01. थाना वजीरगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विनोद चौहान पुत्र जसराज चौहान नि० नयेपुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-59/21, 02. किशन पुत्र राधेश्याम नि० चन्दापुर थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-60/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

02. थाना नवाबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. गोली पुत्र ननकरु नि० खोखियाबल थाना वजीरगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 42 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-58/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

03. थाना छपिया द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विजय शंकर पुत्र श्रीराम नि० कुली बनकट नयन जोतिया थाना छपिया जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-62/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

04. थाना तरबगंज द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. पवन कुमार पुत्र भवानी नि० विशुनपुरवा बेलसर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-52/21, 02. अर्जुन पासवान पुत्र ज्वाला नि० जमलदीपुर सिंहपुर थाना तरबगंज जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-53/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

05. थाना मनकापुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. अशर्फी पुत्र बाबू राम नि० पेरी पोखर थाना मनकापुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 20 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-48/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

06. थाना खरगूपुर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. विश्राम वर्मा पुत्र रामनाथ नि० पम्पापुरवा थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली० अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु०अ०सं०-47/21, धारा 60 आबकारी अधि० के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

07. थाना को0 नगर द्वारा की गयी कार्यवाही—

01. मूसे सोनकर पुत्र मेवा सोनकर नि0 खैरी थाना को0 नगर जनपद गोण्डा के कब्जे से 10 ली0 अवैध कच्ची शराब बरामद कर मु0अ0सं0-124/21, धारा 60 आबकारी अधि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर कार्यवाही की गयी।

अवैध मादक पदार्थ के साथ, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राजकुमार गुप्ता पुत्र अयोध्या प्रसाद नि0 कटहरिया खरगूपुर बाजार थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-49/20, धारा 8/20, एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना खरगूपुर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 938 ग्राम अवैध गांजा

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 19/20.02.2021 की रात्रि थाना खरगूपुर के व0उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय मय हमराह फोर्स के साथ रात्रि गस्त/क्षेत्र भ्रमण मे रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को गांधी विद्यालय खरगूपुर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 938 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना खरगूपुर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. व0उ0नि0 विनय कुमार पाण्डेय।
02. उ0नि0 प्रतीक पाण्डेय।
03. हे0का0 देवेन्द्र प्रताप सिंह।
04. का0 मनोज यादव।

अवैध तमंचे के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. अयाज पुत्र कल्लन नि0 ग्राम खिन्दूरी थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-58/21, धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना कटराबाजार जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस।

संक्षिप्त विवरण—

आज दिनांक 20.02.2021 को थाना कटराबाजार के उ0नि0 नीरज कुमार मय हमराह फोर्स के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को बैरमपुर नहर के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 अदद देशी तमंचा 315 बोर मय 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना कटराबाजार में आर्म्स एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 नीरज कुमार।
02. हे0का0 छोटेलाल यादव।
03. का0 आदित्य चौहान।

01 किलो0 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद, 01 अभियुक्त गिरफ्तार—

गिरफ्तार अभियुक्त—

01. राहुल श्रीवास्तव पुत्र सुनील नि0 ठाकुरद्वारा उम्मेदजोत थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग—

01. मु0अ0सं0-123/21, धारा 8/20, एन0डी0पी0एस0 एक्ट थाना को0 नगर जनपद गोण्डा।

बरामदगी—

01. 01 किलो0 200 ग्राम अवैध गांजा।

संक्षिप्त विवरण—

दिनांक 19.02.2021 को थाना को0 नगर के उ0नि0 भानु प्रताप सिंह मय उ0नि0 दिनेश राय के साथ क्षेत्र भ्रमण में रवाना थे कि मुखबिर खास की सूचना पर उक्त अभियुक्त को सलारपुरवा पुलिया के पास से गिरफ्तार कर उसके कब्जे से 01 किलो 200 ग्राम अवैध गांजा बरामद किया गया। अभियुक्त के विरुद्ध थाना को0 नगर में एन0डी0पी0एस0 एक्ट के तहत अभियोग पंजीकृत कर माननीय न्यायालय रवाना कर दिया गया।

गिरफ्तार कर्ता टीम—

01. उ0नि0 भानु प्रताप सिंह।
02. उ0नि0 दिनेश राय।